ायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 32/2022 तारीख दायर :—12.04.2022 दिनांक निर्णय :—21.04.2021

सरकार जरिये पटवारी हल्का नयागावबोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

प्रेमसिंह नरूका पुत्र मानसिंह नरूका जाति राजपूत निवासी माधोगढ़ तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नयागावबोलका द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल प्रेमसिंह नरूका पुत्र मानसिंह नरूका जाति राजपूत निवासी माधोगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा वाके ग्राम डागरवाड़ा की सिवायचक राजकीय भूमि के आ0ख0न0 1272/290 रकबा 7.58 हे0 के भाग 1.012 हे0 पर बाड़ लगाकर कर रबी सम्वत् 2079 में अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत गैरसायल को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस द्वारा तलब किया गया। गैरसायल अनुपस्थित रहा, गैरसायल की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतीत होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का नयागावबोलका के अनुसार राजकीय भूमि पर गैरसायल द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2079 में बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:— अतिक्रमी प्रेमसिंह नरूका पुत्र मानसिंह नरूका जाति राजपूत निवासी माधोगढ़ तहसील राजगढ़ को आराजी ख0न0 1272/290 रकबा 7.58 हे0 के भाग 1.012 हे0 किस्म सिवायचक बंजड़ वाके ग्राम डागरवाड़ा से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान **1.024** की 50 गुणा में मु0 52.00/—रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का नयागावबोलका को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का नयागावबोलका को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 21.04.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गिर्राज प्रसाद मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)